# नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ MSD00009012 /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ / 2023 / महासमुंद

दिनांक : 18/07/2023

प्रमाणित किया जाता है कि श्री RAJESH KUMAR TIWARI के परिसर MAHARISHI VIDYA MANDIR MACHEWA POST - BAMHANI, DISTRIC - MAHASAMUND (C.G.) 493445 में स्थित MAHARISHI VIDYA MANDIR MACHEWA MAHASAMUND का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दीपांकुर सामुएल नाथ द्वारा श्री राजेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में दिनांक 13/07/2023 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबन्धित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा से संबन्धित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
6. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से MAHARISHI VIDYA MANDIR MACHEWA MAHASAMUND में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः RAJESH KUMAR TIWARI की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
7. निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर वाटर रिसोर्स बढ़ाने एवं दूसरी बिल्डिंग में भी फर्स्ट एड होस रील सिस्टम लगाने की शर्त पर एन.ओ.सी प्रदान की जाती है। यदि निरीक्षण टीम के इस निर्देश का पालन, पत्र जारी दिनांक के तीन माह के भीतर नहीं किया गया तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

निदेशक
ट्रेनिंग आपरेशन
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

जारी दिनांक : 18/07/2023

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

This is system generated NOC. No signature is required.

ANNEXURE - B

## CERTIFICATE OF LAND

File No. Date: 16/08/24

Certified that the land measuring **19100 Sq Mtr** is owned by the **SRM Foundation of India** by way of **Sale Deed** (in case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned form _____NA_____ to _____NA_____

It is further certified that owner of the land has leased the said land to **Maharishi Shiksha Sansthan** (Name of the School/ Society/ Trust/ Company under Section 8 of companies Act, 2023) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of **30** Years from **19.06.2022 to 12.06.2052**

DEED NO-CG-2022-23-103-1-1357 in book No-1 Volume No. 9712 at Office of Sub Registrar Mahasamund

| SL | Particulars | Details |
|---|---|---|
| 1. | **Plot No.(s) Survey No. (s)/ Kharsra No. (s) / Khata No. (s)/ Khatauni No.(s)** | **99/1, 100/2, 101/2** |
| 2. | **Name of street / village. Sub Division, District and State.** | **Machewa, Mahasamund** |

It is certified that the said entire comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that **Maharishi Vidya Mandir, Machewa Mahasamund** (Name of the School with name of street village, Sub-Division and District) run by name of **Maharishi Shiksha Sansthan** (Society/ Trust/ Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

### THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring **19100 Sq Mtr** (area of land in square meters) situated in **99/1, 100/2, 101/2** (Plot No.(s) / Survey No.(s)/ Khasra No.(s) at **Machewa, Mahasamund** (name of street / village, sub division and state) and bounded as follows:

North : Land of Ghanshyam Das
East : Road
West : Land of Gopal Das
South : Land of Narayan Prasad

**DM/ ADM/ SDM/ TEHSILDAR/ NAID TEHSILDAR/ REGISTRAR/ SUB-REGISTRAR/ EQUIVALENT LAND AUTHORITY**

16/08/2024

उप पंजीयक
महासमुन्द

**(Stamp and Signature of the land authority)**

**(Name of Officer)**

**(Name of District)**

- **The filled-up certificate should be either in Hindi or English, If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

# Annexure D

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

**No.** **Date: 04.09.2024**

It is Certified that existing building **Maharishi Vidya Mandir Senior Secondary** School Machewa Mahasamund (name of the building or Premises at **Village – Machewa, Post – Bamhani Mahasamund** (Address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

| Detail of Block(s) in School | Block (1) | Block (2) | Block (3) | Block (4) | Block (5) | Block (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Floor(s) in the Block | Ground Floor<br>First Floor<br>Second Floor | Ground Floor<br>First Floor<br>Second Floor | | | | |

The building is owned/occupied by **Maharishi Vidya Mandir Senior Secondary School** (name of the institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **P.W.D (B/R) Division Mahasamund** (Name of Department / Govt.) on **03.09.2024** (Date of inspection) in the presence of **Shree Rajesh Kumar Tiwari** (Name and addresses of the Manage/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **03.09.2024** For a period of **02.09.2026** Years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1.

2.

3.

4.

Issued on **04.09.2024** at **Mahasamund** by

Strike out whichever is not applicable in case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal: .....Sub Divisional Officer
P.W.D.(B/R) Sub-Dn.No.1
Name: .....Mahasamund (C.G.)

Designation: .....

Name & Address of Department/Office: .....

.....

**Annexure C**

## PROFORMA FOR SAFE DRIKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

**No.** **Date: 21.08.2024**

It is Certified that an inspection team headed by **K.K. SAHU**

(Name of officers with designation) from **20/08/2024 to 31/12/2025** PHED

Inspected the **MAHARISHI VIDYA MANDIR SENIOUR SECONDRY SCHOOL MACHEWA MAHASAMUND**

(Name and address of the school) on **16/08/2024** (Date of inspection) and on the basis of water test report (attached) bearing no. **DL/PHED/MAH – 230** Dated **20/08/2024** of **P.H.E. MAHASAMUND (CG)**

(PHED Lab) certified that the **MAHARISHI VIDYA MANDIR SENIOUR SECONDRY SCHOOL MACHEWA MAHASAMUND** (Name of the school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the central/state/U.T. Govt.

This certificate is valid till **2024-25**

Signature with seal: Assistant Engineer

Name: **K K SAHU** Sub Division MAHASAMUND

Designation: **Assistant Engineer**

Name & Address of the office/Department:

**PHE Sub Division MAHASAMUND**

To

**MAHARISHI VIDYA MANDIR SENIOUR SECONDRY SCHOOL**

**MACHEWA MAHASAMUND**

(Name & Address of the institution)

Note – the certificate is to be issued by authorized officer/PHED Lab/Local bodies

प्रारूप–2

# संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)
दूरभाष : 0771–4240278 ई–मेल :jdeduraipur@gmail.com

क्र./विभागीय मान्यता/एम–0026/2022 2299

रायपुर, दिनांक : 12 MAY 2022

प्रति,

**प्रबंधक/अध्यक्ष,**
**महर्षि शिक्षा संस्थान दिल्ली**
**महर्षि विद्या मंदिर मचेवा लाफिनखुर्द, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)**

सन्दर्भ :– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द कं/149/मान्यता/2022/महासमुन्द, दिनांक 11.01.2022

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्याालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

**महोदय/महोदया,**

आपके आवेदन पत्र की तारीख **30.02.2021** के सन्दर्भ में और इस सबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एव जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) की अनुशंसा उपरांत मैं **महर्षि विद्या मंदिर मचेवा लाफिनखुर्द, जिला–महासमुन्द** (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) को **कक्षा नर्सरी से बारहवीं (अंग्रेजी माध्यम) तक** के लिए तारीख **2022–23 से 2024–25 तक** 03 वर्षो की अवधि के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्याालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्ते निम्नानुसार होगी–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि निम्न अंकित मापदण्डो की पूर्ति आपके द्वारा नही की जाती है तो यह सशर्त दी गई मान्यता अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावें।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   - **(एक)** प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विघालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :
   - **(दो)** किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा :
   - **(तीन)** प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चें से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी :
   - **(चार)** प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - **(पांच)** अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा :

कृपया.....

(छह) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते है, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी :

(सात) अध्यापकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा :

(आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी :

(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो:

(दस) विद्यालय प्रबंधन को शासन की ओर से समय–समय पर जारी कोविड–19 संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों एवं संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :–

स्कूल परिसर का क्षेत्रफल –
कुल निर्मित क्षेत्रफल –
खेल मैदान का क्षेत्रफल –
कक्षाओं के कमरों की संख्या –
प्रधानाध्यापक कक्ष–सह कार्यालय सह–स्टोर कक्ष –
लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन – **हां है।**
स्वच्छ पेयजल सुविधा – **हां है।**
मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर – **हां है।**
बाधा रहित प्रवेश सुविधा – **हां है।**
पठन–पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता – **हां है।**

10. विद्यालय परिसर के भीतर व उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नम्बर **2021-एम–0026** एवं डाईस (DISE) कोड नम्बर **22122101905** है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्तें

1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तकें मान्य होंगी तथा भवन व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(ख) एवं कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
3. कक्षा नवमीं से बारहवीं के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मंडल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्र./विभागीय मान्यता/आर 0026/2022 2300 रायपुर, दिनांक : 12 MAY 2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्युनिटि सेन्टर प्रीत विहार दिल्ली (भारत)– 110092 को सूचनार्थ।
2. सचिव, छतीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)